

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक: 12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ.11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/बाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कृष्ण कुमार व्यास, सार्दुल (बीकानेर)	भौतिक	25.07.1963	02-04-90	डीपीसी/ तदर्थ	20 वर्ष	5400 (PB-2)/ L-13	02-04-16

नोट:- 10.07.2010 को तीसरी संतान के कारण एवं 17.05.2006 को जारी दंडादेश के प्रभाव से नियमानुसार विलम्बित तिथि 02.04.2016 से द्वितीय एसीपी स्वीकृत की जाती है। उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

(नथमल डिडेल)

आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 27/08/19
23/08/19

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/एसीपी/स्वीकृति/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा.....
- 03- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक.....
- 04- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 05- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
- 06- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर